न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 65/2023

अनवान : –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र लादूराम जाति जाट साकिन देह खातेदार तहसील नोहर।
2. महावीर पुत्र लादुराम जाति जाट साकिन देह खातेदार तहसील नोहर।
3. महेन्द्र सिंह पुत्र लादुराम जाति जाट निवासी ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– पेरोकार राज अधिवक्ता **सायलान**
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांकः 10/6/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता संख्या नया 154/75 की कुल 5.6815 हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 एवं रोही मौजा नथवानिया तहसील नोहर के खाता संख्या 76/75 की कुल 5.6765 हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

पटवारी हल्का ललनाबास उतरादा ने रिपोर्ट प्रेषित की है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त खातेदारी की भूमि के ख0न0 362/359, 365/360, व अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त खातेदारी भूमि के ख0न0 361/359 व 364/360 पर अवैध रूप से बिना किसी किस्म परिवर्तन के ईंट भटटा का संचालन किया जा रहा है। जिससे भारी राजस्व नुकसान हो रहा है इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे की रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के ख0न0 362/359, 365/360 रकबा 1.1755 हैक्ट भूमि एवं ख0न0 361/359, 364/360 रकबा 1.1755 कुल 2.351 हैक्ट भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नही करे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 को [illegible] सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर [illegible] की गई गैरसायल संख्या 2 ,3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र [illegible] कित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:32:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायल संख्या 2 ने जबाब पेश किया की विवादित ईटट भटटा सन 2005 से आज तक सहायक खनीज अभियन्ता खन एव भू विभाग हनुमानगढ द्वारा लगातार ईट मिटटी का परमिट फिस जमा करवाकर चलाता आ रहा है उतरदाता अनपढ व्यक्ति है जिसको ईटट भटटा चलाने की कानुनी प्रक्रिया का ज्ञान नही है उतरादाता को पता चला कि कृषि भूमि को बिना किस्म परिर्वतन करवाये भटटा नही चालया जा चकता है तब बिना किसी देरी के कानुनी प्रक्रिया की जानकारी की जाकर अपके कार्यालय में भूमि की किस्म परिर्वतन बात आवेदन किया जा चुका है जो आपके कार्यलय में जैरकार है प्रार्थी किस्म परिर्वतन की राशि जमा करवाने के लिये भी तेयार है नियमनुसार किस्म परिर्वतन की राशि जमा करवाई जाकर ईटट भटटा चलाने की अनुमति फरमावे।

प्रार्थी को बिना सुनवाई के स्थगन आदेश जारी किया गया है जिसके कारण भूमि की किस्म परिर्वतन की कार्यवाही भी नही हो रही है इसलिये स्थगन आदेश खारिज किया जावे अतः स्थगन आदेश निरस्त फरमावें ताकि प्रार्थी की किस्म परिर्वतन की पत्रावली में कार्यवाही की जा सके।

गैरसायल संख्या 3 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की रोही मौजा ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 154/76 की कुल 5.6815हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 एव खाता संख्या 76/75 की कुल 5.6775हैक बतौर खातेदार दर्ज है जिसमें गैरसायल संख्या 1 व गैरसायल संख्या 2 ने अवैध तौर से ईटट भटटा लगाया गया है एव चलाया जा रहा है बिना किस्म परिर्वतन करवाये इेटट भटटा चलाने के कारण 177 आरटीएक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है गैरसायल संख्या 1, 2 ने अनाधिकृत रूप से कृषि भूमि पर अवैध अनाधिकृत निर्माण कर खातेदारी अधिकारों की अवहेलना की गई है इसलिये गैरसायल न0 1 ,2 के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जावें ईटट भटटा अवैध रूप से चलाना पटवारी हल्का की रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

गैरसायल संख्या 1 ,2 का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता संख्या नया 154/75 की कुल 5.6815 हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 एवं रोही मौजा नथवानिया तहसील नोहर के खाता संख्या 76/75 की कुल 5.6765 हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है पटवारी हल्का ललनाबास उतरादा ने रिपोर्ट प्रेषित की है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त खातेदारी की [illegible] 365/360, व अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त खातेदारी भूमि के ख0न0 361/359 [illegible] पर अवैध रूप से बिना किसी किस्म परिवर्तन के ईंट भटटा का संचालन किया [illegible]। जिससे भारी राजस्व नुकसान हो रहा है इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि [illegible] फैसला दावा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे की रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:32:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नोहर के ख0न0 362/359, 365/360 रकबा 1.1755 हैक्ट भूमि एवं ख0न0 361/359, 364/360 रकबा 1.1755 कुल 2.351 हैक्ट भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नही करे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

गैरसायल संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की उतरदाता अनपढ व्यक्ति है जिसको ईटट भटटा चलाने की कानुनी प्रक्रिया का ज्ञान नही है उतरादाता को पता चला कि कृषि भूमि को बिना किस्म परिर्वतन करवाये भटटा नही चालया जा चकता है तब बिना किसी देरी के कानुनी प्रक्रिया की जानकारी की जाकर अपके कार्यालय में भूमि की किस्म परिर्वतन बात आवेदन किया जा चुका है जो आपके कार्यलय में जैरकार है प्रार्थी किस्म परिर्वतन की राशि जमा करवाने के लिये भी तेयार है नियमनुसार किस्म परिर्वतन की राशि जमा करवाई जाकर ईटट भटटा चलाने की अनुमति फरमावे। प्रार्थी को बिना सुनवाई के स्थगन आदेश जारी किया गया है जिसके कारण भूमि की किस्म परिर्वतन की कार्यवाही भी नही हो रही है इसलिये स्थगन आदेश खारिज किया जावे अतः स्थगन आदेश निरस्त फरमावें ताकि प्रार्थी की किस्म परिर्वतन की पत्रावली में कार्यवाही की जा सके।

गैरसायल संख्या 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानाबास नथवानिया के खाता संख्या 154/76 की कुल 5.6815हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 एव खाता संख्या 76/75 की कुल 5.6775हैक बतौर खातेदार दर्ज है जिसमें गैरसायल संख्या 1 व गैरसायल संख्या 2 ने अवैध तौर से ईटट भटटा लगाया गया है एव चलाया जा रहा है बिना किस्म परिर्वतन करवाये इेटट भटटा चलाने के कारण 177 आरटीएक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है गैरसायल संख्या 1, 2 ने अनाधिकृत रूप से कृषि भूमि पर अवैध अनाधिकृत निर्माण कर खातेदारी अधिकारों की अवहेलना की गई है इसलिये गैरसायल न0 1 ,2 के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जावें ईटट भटटा अवैध रूप से चलाना पटवारी हल्का की रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा ललानाबास नथवानिया तहसील नोहर के खाता संख्या नया 154/75 की कुल 5.6815 हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 1 एवं रोही मौजा नथवानिया तहसील नोहर के खाता संख्या 76/75 की कुल 5.6765 हैक्ट भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय किया जाना है कि कृषि भूमि को बिना अनुमति अकृषि कार्य के उपयोग में लिये जाने पर सम्बधित खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाते है [illegible]ना पत्र मे तो यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण अपूर्णीय क्षति का [illegible] एवं [illegible]विधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायलान के नाम बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिस पर गैरसायलान के द्वारा ईटट भटटा स्थापित किया जाकर खनन विभाग की अनुमति से मिटटी का खनन किया जाकर ईटट भटटा संचालित किया जा रहा है गैरसायला

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:52:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 2 ने निवेदन किया की उसे ज्ञान नही था की भूमि की किस्म परिर्वतन करवा कर ईटट भटटा लगाया जाना है ज्ञान होने पर कृषि भूमि को ईटट भटटा उपयोग के लिये कार्यवांही आरम्भ कर दी गई है जो पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों से साबित है तथा गैरसायल न0 2 ने शपथ पत्र भी पेश किया गया है कि जब तक भूमि उपयोग परिर्वतन नही हो जाता तब तक ईटट भटटा का संचालन नही करेगा इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन गैरसायल संख्या 2 के पक्ष में पाया जाता है

गैरसायल संख्या 2 जो राजस्व रिकार्ड मे बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसने अपनी भूमि पर ईटट भटटा लगाया जाकर संचालित किया जा रहा है गैरसायल ने कृषि भूमि को अकृषि ईटट भटटा उपयोग में परिर्वतन करवाने की कार्यवाही विचाराधीन है जो स्थगन आदेश के कारण आगामी कार्यवाही नही हो पा रही है गैरसायल न0 2 नियमानुसार सपरिर्वतन की राशि जमा करवाने के लिये भी तैयार है यदि गैरसायल संख्या 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावेगा तो भूमि किस्म परिर्वतन की कार्यवाही प्रभावित होगी जिससे गैरसायल संख्या 2 के हको का हनन होगा जो उचित नही है अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी गैरसायल के पक्ष में पाया जाता है।

वाद भूमि गेरसायल संख्या 2 के नाम बतौर खातेदार दर्ज है जिस भूमि पर गैरसायल संख्या 2 ने ईटट भटटा संचालित किया जा रहा है गैरसायल न0 2 ने जिस भूमि पर ईटट भटटा संचालित किया जा रहा है कि किस्म परिर्वतन करवाने की कार्यवाही की जा रही है जो विचाराधीन है अतः सुविधा का सन्तुलन गैरसायल संख्या 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाकर कार्यालय द्वारा दिनांक 12.04.2023 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा संपरिर्वतन कार्यवाही की हद तक समाप्त की जाती है शेष यथावत रहेगी व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/6/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:52:52 IST
Reason: SelfAttested